न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-टि.ए.64/2016
पंजीयन दिनांक 14.07.2016

(1). रामेश्वरलाल पिता मांगीलाल जाति जटिया निवासी खोर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-अपीलांट्गण

बनाम

(1). नारायणीबाई पत्नी बालूराम जाति खटीक निवासी गांधीनगर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). कालूराम पिता नंदलाल जाति डांगी निवासी खोर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 231/2015 निर्णय एवं आदेश दिनांक 29.06.2016

उपस्थित वक्त बहस-(1).राजकुमार शर्मा-अधिवक्ता अपीलांट
(2).छोगालाल जाट-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2

निर्णय **दिनांक 05.07.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(1) के अन्तर्गत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि मौजा खोर तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 509/850 रकबा 0.50 हैक्टेयर स्थित होकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त आराजी से संलग्न आराजी संख्या 509/851 रकबा 0.19 हैक्टेयर अपीलांट विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज रेकॉर्ड है जिसमे से 12 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उक्त वर्णित आराजीयात में आने जाने हेतु राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवाया जाकर अपीलांट विपक्षी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वह प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त रास्ते मे होकर आने जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे और न किसी अन्य से करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र दिनांक 29.06.2016 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर मौजा खोर तहसील चित्तौड़गढ़ स्थित रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के खातेदारी की आराजी संख्या 506 में से 0.0020 हैक्टेयर एवं अपीलांट प्रतिवादी के खातेदारी की आराजी संख्या 507 मे से 0.0040 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 509/851 रकबा 0.19 हैक्टेयर में से 0.0104 हैक्टेयर, कुल 0.0164 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात में आने जाने हेतु राजस्व रेकॉर्ड मे बिलानाम रास्ता कायम किये जाने बाबत उक्त बिलानाम रास्ते के रकबे 0.0164 हैक्टेयर भूमि की डीएलसी रेट अनुसार कीमत 12694 रुपये की दोगुना अर्थात 24788 रुपये कीमत का भुगतान विपक्षीगण खातेदारान को किया जाने पर उक्त भूमि 0.0164 हैक्टेयर को राजस्व रेकॉर्ड में बिलानाम रास्ता दर्ज किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया गया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व आदेश दिनांक 29.06.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट विपक्षी ने अपील मेमो मे यह तथ्य अंकित किये कि रेस्पोडेन्ट सख्या 1 प्रार्थीया ने स्वयं की आराजीयात पर आने जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में कायम कराये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसकी जानकारी सम्मन नोटिस या अन्य किसी माध्यम से अपीलांट विपक्षी को नहीं हुई । जानकारी के अभाव में अपीलांट विपक्षी की ओर से प्रकरण में कोई जवाबदावा भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पर एकतरफा सुनवाई करते हुए अपीलांट विपक्षी के खातेदारी आराजी संख्या 507 व 509/851 में से रास्ता कायम किया जाने का निर्णय पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी तथ्य अंकित किये कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पक्षकार नहीं था लेकिन दिनांक 29.06.2016 को पत्रावली न्याय आपके द्वार शिविर ग्राम जालमपुरा मे रखी जाकर प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा साधारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को प्रकरण में पक्षकार बना दिया गया तथा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की अनुपस्थिति में उनको सुने बिना ही निर्णय पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी तथ्य अंकित किये कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थीया की आराजी पर आने जाने हेतु रास्ता पूर्व में स्थित है परन्तु प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्व कर्मचारियों की मिलिभगती से मौका रिपोर्ट तैयार करायी जाकर अपीलांट विपक्षी की आराजीयात मे रास्ता होना

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

गया गया तथा उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट विपक्षी के खातेदारी की आराजीयात में से रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में बिलानाम रास्ता दर्ज किये जाने का निर्णय पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 29.06.2016 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी । दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रकरण में अपीलांट विपक्षी का जवाबदावा लिए बिना तथा अपीलांट विपक्षी को सूचित किये बिना ही निर्णय पारित किया गया जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही निर्णय दिनांक को ही वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से आवेदन लेकर प्रतिवादी संख्या 2 को पक्षकार बनाया गया, जिसकी तामील हुए बिना ही पक्षकारान की अुनपस्थिति में निर्णय पारित किया गया जो कि न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित होने के कारण प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया गया है अतः अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे फेरबदल किया जाना न्यायोचित नहीं हाने से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 29.06.2016 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रकरण वास्ते तामील विपक्षीगण नियत था परन्तु विपक्षीगण की तामील हुए बिना ही पत्रावली 29.06.2016 को न्याय आपके द्वार शिविर ग्राम जालमपुरा मे रखी गई जिसकी विपक्षीगण को कोई सूचना नहीं दी गई। बिना पक्षकारान को सूचित किये व बिना किसी आदेश के पटवारी हल्का के द्वारा पर्चा मौका अपीलांट विपक्षी की अनुपस्थिति में तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाकर दिनांक 29.06.2016 को ही अपीलांट विपक्षी की अनुपस्थिति में बिना लिखित राजीनामे के प्रकरण में प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट सख्या 1 के पक्ष में गुणावगुण पर निर्णय पारित कर दिया जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। लोक अदालत विशुद्ध रूप से पक्षकारान के मध्य सुलह व राजीनामे से संबंधित है जो कि न्यायिक दृष्टांत आर0एल0डब्ल्यु0 2008 पार्ट-2 पेज 975 के अवलोकन से स्पष्ट है। लोक अदालत बिना राजीनामे के

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

गुणावगुण पर निर्णय पारित करने मे सक्षम नही है फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट विपक्षी को सूचित किये बिना व बिना लिखित राजीनामे के एकतरफा सुनवाई करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया जो न्यायोचित नही होने से अपीलांट विपक्षी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट विपक्षी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ प्रकरण संख्या 231/2015 निर्णय व आदेश दिनांक 29.06.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्षकारान की उपस्थिति में पर्चा मोका सक्षम अधिकारी से लिया जाकर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, गुणावगुण पर अजसरे तीन माह में नवनिर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)